न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री नवनीत कुमार
अपील संख्या : 05/2020

श्री चन्दगीराम (मृतक) पुत्र श्री भूराराम जाट साकिन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झूंझनूं — अपीलान्ट

1/1 कस्तुरीदेवी पत्नी चन्दगीराम
1/2 महेन्द्रसिंह पुत्र चन्दगीराम
1/3 मुकेश कुमार पुत्र चन्दगीराम
1/4 बबीतादेवी पुत्री चन्दगीराम
1/5 सुमितादेवी पुत्री चन्दगीराम
1/6 सरिता कुमारी पुत्री चन्दगीराम पुत्र श्री भूराराम जाट साकिन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झूंझनूं — अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज — रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री विजय कुमार भादाणी – वकील अपीलान्ट संख्या 1/1 से 1/6
2. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक :– 21–05–2026

यह अपील अपीलान्ट श्री चन्दगीराम पुत्र श्री भूराराम जाट, साकिन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झूंझनूं के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–01–1985 से व्यथित होकर राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट श्री चन्दगीराम के देहान्त होने पर उनके विधिक वारिसान यथा श्रीमती कस्तुरीदेवी पत्नी श्री चन्दगीराम, महेन्द्र सिंह (पुत्र), मुकेश कुमार (पुत्र), बबीतादेवी (पुत्री), सुमितादेवी (पुत्री), सरिता कुमारी (पुत्री) पि0 श्री चन्दगीराम पुत्र श्री श्री भूराराम जाट, साकिन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झूंझनूं को वारिसान के नाते रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी ने अपने अपील मीमों में अंकित किया है कि अपीलान्ट ने भूतपूर्व सैनिक के तहत भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलान्ट आवंटन की सभी शर्तें पूरी करता था। आवंटन प्रार्थना पत्र में तमाम सबूत संलग्न किये थे। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन करते समय भी सबूत लिये जा सकते थे लेकिन आवंटन अधिकारी द्वारा इस आधार पर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट संलग्न नहीं है। मात्र डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर आवेदन प्रार्थना पत्र खारिज करना न्याय संगत नहीं है। अपीलान्ट को नोटिस दिया जाता तो अपीलान्ट उसी समय डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुक पेश कर देता। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलान्टगण की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने कहा कि अपीलान्टगण के पति/पिता ने भूतपूर्व सैनिक के तहत भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। तमाम सबूत पेश किये थे। भूल से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया। इस आधार पर आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 28–01–1985 को अपीलान्ट का प्रार्थना निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। यदि दस्तावेजों के अभाव में अपीलाण्ट को तत्समय नोटिस दिया जाता, तो अपीलान्ट तत्समय डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पेश कर देता। अपील के साथ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है। कृपया अपील स्वीकार करते हुए आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का आदेश दिनांक 28–01–1985 निरस्त फरमाते हुए अपीलान्टगण को सुनवाई का एक मौका देते हुए अपील स्वीकार फरमावे।

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार राज की बहस सुनी गई। पैरोकार राज का कथन है कि भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ सदभाविक राजस्थानी प्रमाण पत्र, भूमिहीन, भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षा बल का नियमानुसार भूतपूर्व कर्मी, सेना/बी0एस0एफ0 से अनुशासनिक कारणों से पदमुक्त, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होते हैं। श्री चन्दगीराम द्वारा तत्समय आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण दिनांक 11–07–1984 को जिलाधीश, झूंझनूं ने अपीलार्थी को नोटिस दिया कि अपीलार्थी के भूमि आवंटन के आवेदन पत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं है। अतः आप दिनांक 15–07–1984 से पूर्व आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट संलग्न किया जाना था जो अपीलान्टगण के पति/पिता श्री चन्दगीराम द्वारा तत्समय प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके अभाव में आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 28–01–1985 को मूल आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। न्यायालय की पत्रावली में वर्ष 2007 के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फोटोप्रति उपलब्ध है। उक्त फोटोप्रति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि विश्वास किया जाये तो यह उपधारणा की जायेगी कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट खो गया होगा इसलिए दुबारा बनवाना पडा। वर्ष 2007 में बना अर्थात् वरवक्त आवेदन के समय उपलब्ध नहीं था इसलिए अपीलार्थी द्वारा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवंटन अधिकारी को उपलब्ध नहीं करवाया गया। अपील करीब 30 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताये। वर्तमान में अपीलान्टगण के पति/पिता श्री चन्दगीराम का देहान्त हो चुका है। शासन की अधिसूचना दिनांक 10–12–2019 के अनुसार राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12–क के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में भूमि आवंटन कर दी गयी हो, लेकिन आवंटन आदेश जारी होने या आवंटित भूमि का कब्जा सौंपें जाने से पहले आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो यदि आवंटन आदेश पहले से जारी नहीं किया गया है तो नियमानुसार वारिसों के नाम आवंटन आदेश जारी किया जायेगा। हस्तगत प्रकरण में श्री चन्दगीराम के प्रार्थना पत्र पर सक्षमता का निर्णय नहीं लिया गया है व श्री चन्दगीराम का देहान्त हो चुका है। अतः उक्त अपील के मार्फत अपीलान्टगण का कोई अनुतोष शेष नहीं रहता है। अतः अपील गुणावगुण व मियाद बाहर होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अभाव में आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 28–01–1985 को निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा करीब 30 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः मियाद बाहर है तथा वर्तमान में आवेदक श्री चन्दगीराम का देहान्त हो चुका है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10–12–2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार भी अपीलान्टगण को गुणावगुण के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से एवं गुणावगुण के आधार पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस हो।

निर्णय आज दिनांक 21–05–2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/5/2026

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner